

2021/156

फर्द अहकाम

इनुमान बनाम देवारदेवी

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, बस्ती

राजस्व चार्ज/घाईना चार्ज/सुकदमा नम्बर : 84/2021

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	19/7/22	<p>पत्रावली पेश हुई। तमील पत्रकार उपस्थित। क्वेश्चन रिपोर्ट हेतु पत्रावली दिनांक 02/08/2022 को पेश दी।</p> <p>2.9.22 पत्रावली पेश हुई। PO. माहन वेंच अन्य कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 23.8.22 को पेश हो।</p>
	23/8/22	<p>पत्रावली पेश हुई। कमील पत्रकार उपस्थित। कमील कांडी की तमील क्वेश्चन रिपोर्ट से प्राप्त क्वेश्चन रिपोर्ट पर क्वेश्चन सुनी गयी। पत्रावली का व पत्रावली में प्रस्तुत तमिलों का अवलोकन करते एवं कमील कांडी द्वारा क्वेश्चन रिपोर्ट पर की गयी क्वेश्चन पर महत करते तथा कमील कांडी द्वारा क्वेश्चन रिपोर्ट पर सहमति व्यक्त करते के फलस्वरूप कांडी का कांड तमील क्वेश्चन रिपोर्ट से प्राप्त क्वेश्चन रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिप्टी क्लिपिंग है कि कांड अन्ति आदेशी (व. नं. 168/15) स्कान 3.7489 हेमरे. निधत अन्ति अपुटा पत्रकार एका रिजुटिया क्लिपिंग वधमि क्वेश्चन जिलर बांधुपुट में से र. व. नं. 168/151 स्कान 0.200 हेमरे. का अन्ति</p>

राजस्व कलक्टर बस्ती

फर्द अहकाम
 हुमात बनाम वेसडेवी

2021/0156

नय : सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, बरसी

प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 84/2021

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	<p>खतेदार सरकारी पत्नि सीताराम जाति घोषी सा. वासोता खतेदार के हिस्से में रहे। तथा ख.रं. 168 रकबा 0.120 हेक्टे. , 168 रकबा 0.030 हेक्टे. 168 रकबा 0.100 हेक्टे. 168/151 रकबा 1.47 हेक्टे. 168 रकबा 1.7229 हेक्टे. कुल जमा 5 कुल रकबा 3.4429 हेक्टे. वी श्री खतेदार हुमात पुन ग्राहता जाति कलई सा. डेड खतेदार के हिस्से में रहे। वी श्री खतेदार वेसडेवी पत्नि किरडीचन्द हि. 1/2 जाति कलई सा. डेड खतेदार, पप्पू ताफान, फूलचन्द रमेश पि. खतीना हि. 1/2 जाति कलई सा. डेड खतेदार, रामप्यारी डेवी पत्नि सीताराम हि. 1/2 जाति कलई सा. डेड खतेदार के हिस्से में रहेगी। इसी अनुसार राजस्व विमाड में प्रमल दरमद डेड तहसीलदार कमी के आदेशा विषाभाता है। कुपजात व गसरे काड अनुमोदत मेजे जावे। इसी पचा जाती है। निर्णय व जिम्मी वीपालका हुतहरीट जाती है। पत्रावसी फासल शुमार होकर काड तहसील दाखिल दफतरे। आज दिनांक 23-8-21 को यह निर्णय खतेदारों को सुनाया गया।</p>	

सहायक कलेक्टर बरसी जिला जयपुर

जिला-जयपुर

अंतिम डिकी मुकदमा इक्टदाई
(ओ.20 रुल्स व 7 जाक्का दीवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर बरसी जिला जयपुर
पीठासीन अधिकारी शिवचरण शर्मा (आर.ए.एस.) सहायक कलक्टर बरसी जिला जयपुर

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. हनुमान पुत्र ग्यारसा जाति बलाई निवासी बलाईयों की हाणी ग्राम रुपपुरा तह. बरसी जिला जयपुर।		1. केंसर देवी पत्नि बिरदीचन्द 2. मनमर देवी पत्नि रणजीता 3. रामप्यारी देवी पत्नि सोला 4. सरबती पत्नि सीताराम जाति बलाई निवासी ग्राम रुपपुरा तह. बरसी जिला जयपुर। 5. उपपंजियक बरसी जिला जयपुर। 6. तहसीलदार बरसी जिला जयपुर।

प. मु0न0 84/21

दावा बाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा

वादी का वाद अंतिम डिकी किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी ख.नं. 168/151 रकबा 3.7429 हैक्टेयर स्थित ग्राम रुपपुरा पटवार हल्का खिजुरिया ब्राहमण तह. बरसी जिला जयपुर में से ख.नं. 168/1/151 रकबा 0.200 हैक्टेयर की भूमि खातेदार सरबती पत्नि सीताराम जाति धोबी सा. कानोता खातेदार के हिस्से में रहेगी तथा ख.नं. 168/5 रकबा 0.120 हैक्टेयर, 168/4 रकबा 0.030 हैक्टेयर, 168/2 रकबा 0.100 हैक्टेयर, 168/151 रकबा 1.47 हैक्टेयर, 168/6 रकबा 1.7229 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 3.4429 हैक्टेयर की भूमि खातेदार हनुमान पुत्र ग्यारसा जाति बलाई सा. देह खातेदार के हिस्से में रहेगी तथा ख.नं. 168/3 रकबा 0.100 हैक्टेयर की भूमि खातेदार केंसर देवी पत्नि बिरदीचन्द हि. 1/3 जाति बलाई सा. देह खातेदार, पम्पू तोफान, फूलचन्द, राकेश पि. रणजीता हि. 1/3 जाति बलाई सा. देह खातेदार, रामप्यारी देवी पत्नि सीताराम हि. 1/3 जाति बलाई सा. देह खातेदार के हिस्से में रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार बरसी को आदेश दिया जाता है। कुर्रजात व नक्शे बाद अनुमोदन भेजे जावें।निजी.....मुबलिक.....बाबत.....खर्चा.....इस मुकदमें का मय सूद वगैरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाव तक.....को अदा करें।

बसंख मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 23.08.2022 को जारी किया गया।

मुददई	रुपये	पैसे	मुददायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प बकालतनामा			स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प वहत सबूत			स्टाम्प वहत सबूत		
महन्ता वकील			महन्ता वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट:- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिकी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

दस्तख्त
सहायक कलक्टर बरसी जिला जयपुर